

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

**दिनांक:- 19.09.2021**

**थाना रूरा**

दिनांक 18.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-358/15 धारा-452/328/504 भादवि में वारन्टी अभियुक्त विष्णुकान्त को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**धारा 151 दं0प्र0सं0**

दिनांक 19.09.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना रूरा 02, शिवली 05, रसूलाबाद 02, भोगनीपुर 05, अकबरपुर 03, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।